



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062022-236464
CG-DL-E-10062022-236464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2523]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944

No. 2523]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISTHA 20, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

का.आ. 2650(अ).—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम(एनडीडीवी), 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को उसके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है तथा इस प्रयोजन हेतु वह भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 5477(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अधिनियम की धारा (8) की संदर्भित उपधारा	कार्यकाल
1.	श्री निहाल चंद शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड	निदेशक	8 (2) (सी)	अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष तक या हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में रहने तक, या अगने आदेशों तक जो भी पहले हो।

2.	डॉ. एन एच केलावाला, कुलपति, विश्वविद्यालय, गुजरात	निदेशक	8 (2) (ड)	अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों तक या अगने आदेशों तक, जो भी पहले हो।
----	---	--------	-----------	---

[फा. सं. एम-03017/1/2022-प्रशा०-4]

दीपक सेठी, अवर सचिव

नोटः—प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4.03.1994 की अधिसूचना का. आ. सं. 210 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का. आ. सं. 1-32 (अ) दिनांक 11.3.95, का. आ. सं. 532 (अ) दिनांक 6.6.95, का. आ. सं. 166(अ) दिनांक 3.3.96, का. आ. सं. 386(अ) दिनांक 3.6.96, का. आ. सं. 605(अ) दिनांक 2.9.96, का. आ. सं. 678(अ) दिनांक 1.8.96, का. आ. सं. 750(अ) दिनांक 13.10.97, का. आ. सं. 836(अ) दिनांक 18.12.97 का. आ. सं. 738(अ) दिनांक 28.8.98, का. आ. सं. 1000(अ) दिनांक 26.11.98, का. आ. सं. 156(अ) दिनांक 10.3.99, का. आ. सं. 755(अ) दिनांक 18.8.2000, का. आ. सं. 351(अ) दिनांक 25.4.2001, का. आ. सं. 656(अ) दिनांक 21.6.2002, का. आ. सं. 1077(अ) दिनांक 16.9.2003, का. आ. सं. 212(अ) दिनांक 16.2.2005, का. आ. सं. 826(अ) दिनांक 29.5.2006, का. आ. सं. 461(अ) दिनांक 29.3.2007, का. आ. सं. 1738(अ) दिनांक 10/11.1.;2007, का. आ. सं. 1503(अ) दिनांक 17.6.2008, का. आ. सं. 2658(अ) दिनांक 10.11.2008, का. आ. सं. 1274(अ) दिनांक 19.5.2009, का. आ. सं. 2575 (अ) दिनांक 9.10.2009, का. आ. सं. 1233(अ) दिनांक 26.5.2010, का. आ. सं. 168(अ) दिनांक 24.1.2011, का. आ. सं. 1779(अ) दिनांक 27.7.2011, का. आ. सं. 97(अ) दिनांक 14.12.2011, का. आ. सं. 98(अ) दिनांक 22.12.2011, का. आ. सं. 241(अ) दिनांक 8.2.2012, का. आ. सं. 992(अ) दिनांक 27.4.2012, का. आ. सं. 1141(अ) दिनांक 26.4.2013, का. आ. सं. 1697(अ) दिनांक 13.6.2013, का. आ. सं. 1341(अ) दिनांक 15.4.2014, का. आ. सं. 1451(अ) दिनांक 3.6.2014, का. आ. सं. 3076(अ) दिनांक 3.12.2014, का. आ. सं. 721(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 722(अ) दिनांक 05.3.2015, का. आ. सं. 3132(अ) दिनांक 9.10.2015, का. आ. सं. 1076(अ) दिनांक 12 मार्च, 2016, का. आ. सं. 1674(अ) दिनांक 03.05.2016, का. आ. सं. 684(अ) दिनांक 28.02.2017, का. आ. सं. 1869(अ) दिनांक 09.06.2017, का. आ. 3774(अ), दिनांक 27.11.2017, का. आ. 1393(अ), दिनांक 27.03.2018, का. आ. 5344(अ), दिनांक 12.10.2018, का. आ. 1043(अ), दिनांक 22.02.2019, का. आ. 1860(अ), दिनांक 27 मई, 2019, का. आ. 2099(अ), दिनांक 19 जून, 2019, का. आ. 4352(अ), दिनांक 04 दिसंबर, 2019, का. आ. 1451(अ), दिनांक 08 मई, 2020 और का. आ. 1165(अ), दिनांक 10 मार्च, 2021, का. आ. 2673 (अ), दिनांक 02 जुलाई, 2021, का. आ. 3258 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021 तथा का. आ. 5477(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2022

S.O. 2650(E).— In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 read with Section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby nominates with immediate effect the following person to be the Director on the Board of Directors of National Dairy Development Board, for the period indicated against the name and for that purpose makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying S.O.No. 5477(E) dated 30th December, 2021:—

S. No.	Name	Designation	Relevant sub-section of section 8 of the Act.	Tenure
1.	Shri Nihal Chand Sharma, Chairman, Himachal Pradesh State Co-operative Milk Producers' Federation Ltd.	Director	8 (2) (c)	One year from the date of notification OR Upto the period as Chairman,

				Himachal Pradesh State Co-operative Milk Producers' Federation Ltd. OR till further orders, Whichever is earliest.
2.	Dr. N H Kelawala, Vice Chancellor, Kamdhenu University, Gujarat	Director	8 (2) (e)	two years from the date of notification OR till further orders, Whichever is earlier.

[F. No. M-03017/1/2022-Admin-4]
DEEPAK SETHI, Under Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O. No.210(E) dated 4-3-1994 and subsequently amended vide S.O.1-32(E) dated 11-3-1995, S.O.532(E) dated 6-6-1995, S.O.166(E) dated 3-3-1996, S.O.386(E) dated 3-6-1996, S.O.605(E) dated 2-9-1996, S.O.678(E) dated 1-8-1996, S.O.750(E) dated 13-10-1997, S.O.836(E) dated 18-12-1997, S.O.738(E) dated 28-8-1998, S.O.1000(E) dated 26-11-1998, S.O.156(E) dated 10-3-1999, S.O. 755(E) dated 18-8-2000, S.O.351(E) dated 25-4-2001, S.O. 656(E) dated 21-6-2002, S.O.1077(E) dated 16-9-2003, S.O. 212(E) dated 16-2-2005, S.O. 826(E) dated 29-5-2006, S.O. 461(E) dated 29-3-2007, S.O. 1738(E) dated 10/11-10-2007, S.O. 1503(E) dated 17-6-2008, S.O. 2658(E) dated 10-11-2008, S.O. 1274(E) dated 19-5-2009, S.O. 2575(E) dated 9-10-2009, S.O. 1233(E) dated 26-5-2010, S.O. 168(E) dated 24-1-2011, S.O. 1779(E) dated 27-7.2011, S.O. 97(E) dated 14.12.2011, S.O. 98(E) dated 22.12.2011, S.O. 241(E) dated 8-2-2012, S.O. 992(E) dated 27-4-2012, S.O. 1141(E) dated 26-4-2013 and S.O. 1697(E) dated 13-6-2013, S.O.1341(E) dated 15-4-2014, S.O. 1451(E) dated 3-6-2014, S.O.No.3076(E) dated 3-12-2014, S.O. 721(E) dated 5-3-2015, S.O.No.722(E) dated 5-3-2015, S.O.No.3132(E) dated 9-10- 2015, S.O. No 1076 (E)) dated 12-03-2016, S.O. No 1674 (E) dated 03-05-2016, S.O.No.684(E) dated 28.02.2017, S.O.No.1869(E) dated 09.06.2017, S.O.No.3774(E) dated 27.11.2017, S.O.No.1393(E) dated 27th March, 2018, S.O.No.5344(E) dated 12.10.2018, S.O.No. 1043(E) dated 22.02.2019, S.O.No.1860(E) dated 27th May, 2019, S.O.No.2099(E) dated 19th June, 2019, S.O.No.4352(E) dated 04th December, 2019 and S.O.No.1451(E) dated 8th May, 2020, S.O. No. 1165(E) dated 10.03.2021, S.O. No. 2673(E) dated 02.07.2021, S.O.No.3258(E) dated 11th, Aug, 2021 and S.O.No. 5477(E) dated 30th December, 2021.